146

कार्यालय :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची

वन भवन, डोरण्डा, राँची
E-mail :- addlpccfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813

झारखण्ड सरकार

पत्रांक : 01/यो0ब0–पौधशाला–21/2015– 675 **दिनांक : 14.05.2016**

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा/ चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा/ कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा/ बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/ धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/ देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर

विषय :– वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक कार्यान्वित की जाने वाली ''स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत लम्बे पौधे तैयार करने का समापन कार्य के लिए राशि **रू0 5.038 लाख (पाँच लाख तीन हजार आठ सौ रूपये) मात्र** का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:– विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0–106/2015– 37/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.09.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 07/यो0बजट–106/2015– 22/आ0 व0प0 दिनांक 23.04.2016 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष–2406–वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष– 01 वानिकी, लघु शीर्ष– 800 अन्य व्यय, उप शीर्ष– 39 स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 5.038 लाख (पाँच लाख तीन हजार आठ सौ रूपये) मात्र** का आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है :–

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601800390103	3.872
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601800390323	1.166
कुल :–		**5.038**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश के **अनु0–1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने–अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनु0–2** पर तथा कार्यदर **अनु0–3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या– पी0 19P240601800390103 तथा पी0 19P240601800390323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम सं0–300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरुप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं निर्धारित कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।

नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक लक्ष्य एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

6. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास होंगे। उनके द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरूद्ध प्रगति से वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्री पदाधिकारियों यथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण किया जायेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन नियमित रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने अधीनस्थों एवं नियंत्री पदाधिकारियों को समर्पित करेंगे।

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जयेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ ततद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों एवं नियमों के अनुरूप की जायेगी। विशेष रूप से अच्छी गुणवत्ता को निर्धारित साइज एवं मापदण्डों की पोलीथीन ट्यूब का क्रय सरकार के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 के अनुसार किया जायेगा।

10. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देंखे कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे श्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

144

11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनायें क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

14. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाऐं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

15. प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

16. पौधशाला में लम्बे पौधे उगाने तथा प्रजातियों का चयन लम्बे पौधों की कार्य दर जो कार्यालय आदेश संख्या 36 दिनांक 19.05.2015 द्वारा भेजी गयी है, के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

17. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरुप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

18. इस कार्यालय के पत्रांक 561 दिनांक 16.04.2016 द्वारा 221.61 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर राशि की माँग की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति 206.17 रू0 प्रति मानव दिवस पर आवंटन उपलब्ध करायी गयी है। आवंटन के अनुरूप राशि का उप आवंटन किया जा रहा है, लेकिन मजदूरी का भुगतान 221.61 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर किया जाय, शेष राशि सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,
(हस्ताक्षर) 19.5.2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

(143)

11. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरुपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनायें क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

14. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनाऐं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

15. प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

16. पौधशाला में लम्बे पौधे उगाने तथा प्रजातियों का चयन लम्बे पौधों की कार्य दर जो कार्यालय आदेश संख्या 36 दिनांक 19.05.2015 द्वारा भेजी गयी है, के अनुसार सुनिश्चित किया जाय।

17. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

18. इस कार्यालय के पत्रांक 561 दिनांक 16.04.2016 द्वारा 221.61 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर राशि की माँग की गई थी, लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति 206.17 रू0 प्रति मानव दिवस पर आवंटन उपलब्ध करायी गयी है। आवंटन के अनुरूप राशि का उप आवंटन किया जा रहा है, लेकिन मजदूरी का भुगतान 221.61 रू0 प्रति मानव दिवस के आधार पर किया जाय, शेष राशि सरकार से आवंटन प्राप्त होने पर उपलब्ध करा दी जायेगी।

<u>**अनुलग्नक :– यथोक्त**</u> ।

विश्वासभाजन,

ह0/– (signature) 11.5.2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

(142

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–पौधशाला–21/2015–675** दिनांक– **14.05.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

Khawhan
14/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

(141)

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–पौधशाला–21/2015–675** दिनांक– **14.05.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गिरिडीह/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, देवघर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गढ़वा/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

ह0/–
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–पौधशाला–21/2015– 675** दिनांक– **14.05.2016**

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ कोषागार पदाधिकारी, चतरा/ कोषागार पदाधिकारी, कोडरमा/ कोषागार पदाधिकारी, बोकारो/ कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ कोषागार पदाधिकारी, गिरिडीह/ कोषागार पदाधिकारी, रामगढ़/ कोषागार पदाधिकारी, देवघर/ कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/ कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :– यथोक्त ।

14/5/16

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2016–17 तक कार्यान्वित की जाने वाली "स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 में स्थायी पौधशालाओं में लम्बे पौधे उगाने का दो वर्षीय कार्य का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (वन प्रमण्डल पदाधिकारी)	पौधों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2016–17		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			27214.44	8194.29	35408.73
i	ii	iv	viii	ix	x
1	हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	10000	0.2721	0.0819	0.354
2	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल, हजारीबाग	10000	0.2721	0.0819	0.354
3	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल, चतरा	10000	0.2721	0.0819	0.354
4	चतरा उत्तरी वन प्रमण्डल, चतरा	10000	0.2721	0.0819	0.354
5	कोडरमा वन प्रमण्डल, कोडरमा	10000	0.2721	0.0819	0.354
6	बोकारो वन प्रमण्डल, बोकरो	10000	0.2721	0.0819	0.354
7	धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद	10000	0.2721	0.0819	0.354
8	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	10000	0.2721	0.0819	0.354
9	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह	10000	0.2721	0.0819	0.354
10	रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़	10000	0.2721	0.0819	0.354
11	देवघर वन प्रमण्डल, देवघर	10000	0.2721	0.0819	0.354
12	मेदिनीनगर वन पमण्डल, मेदिनीनगर	10000	0.2721	0.0819	0.354
13	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल, गढ़वा	10000	0.2721	0.0819	0.354
14	सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर	12274	0.3347	0.1013	0.436
	योग :–	**142274**	**3.872**	**1.166**	**5.038**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04/यो0बजट–106/2015– 37/स्वी0 व0प0 दिनांक 30.09.2015

14/5/2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

F:\DEVELOPMENT\2016-17\Allotment\OA\Per Nur & Seec orchard\S.O. 37 dt 30.09.2015

(139

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

।

पत्र संख्या - 01/YB-21/2015/675 दिनांक - 14-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25867	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस
2	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25868	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस
3	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25869	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस

योग: 81,630.00

क्रमिक योग: रुपये इक्कयासी हजार छः सौ तीस

Chauhan 14/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 14/5/2016

138)

पत्र संख्या - 01/YB-21/2015/675 दिनांक - 14-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25870	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस
5	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25871	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस
6	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25872	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस
7	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25873	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस

योग: 108,840.00

क्रमिक योग: रुपये एक लाख नब्बे हजार चार सौ सत्तर 190,470.00

Y.K.Singh Chauhan 19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDl.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

137

पत्र संख्या - 01/YB-21/2015/675 दिनांक - 14-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25875	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस
9	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25878	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस
10	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25880	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICEI	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस
11	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25884	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दस

योग: 108,840.00

क्रमिक योग: रुपये दो लाख निन्नानवे हजार तीन सौ दस 299,310.00

14/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDL.PCCF.DEV.JHARKHAND

136) पत्र संख्या - 01/YB-21/2015/675 दिनांक - 14-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25888	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दर
13	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25891	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	27,210.00 रुपये सत्ताइस हजार दो सौ दर
14	P 19 240601800390103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	25897	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	33,470.00 रुपये तैतीस हजार चार सौ सत्त
15	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25915	HZBFWL009 SUSHIL SOREN DIV. FOREST OFFICE EAST	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे

योग: 96,080.00

क्रमिक योग: रुपये तीन लाख पिनचानवे हजार तीन सौ नब्बे 395,390.00

Hchauhan 14/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

(135)

पत्र संख्या - 01/YB-21/2015/675 दिनांक - 14-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25917	HZBFWL005 RAJIV RANJAN D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे
17	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25918	CTRFOR003 MADHUKAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे
18	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25920	CTRFOR002 RAVINDRA NATH MISHRA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे
19	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25923	KDMFORA01 MITHILESH KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे

योग: 32,760.00

क्रमिक योग: रुपये चार लाख अठाइस हजार एक सौ पचास 428,150.00

YKSChauhan 19/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND
RANCHI

 172.16.20.1 Run Date: 14/5/2016

134

पत्र संख्या - 01/YB-21/2015/675 दिनांक - 14-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
20	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25924	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे
21	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25926	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे
22	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25927	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे
23	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25928	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे

योग: 32,760.00

क्रमिक योग: रुपये चार लाख साठ हजार नौ सौ दस 460,910.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

पत्र संख्या - 01/YB-21/2015/675 दिनांक - 14-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
24	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25929	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे
25	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25930	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे
26	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25932	PLMFOR070 NARESH CHANDRA SINGH MUNDA D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV.	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे
27	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25933	GRHFWL004 SR ARVIND KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA	8,190.00 रुपये आठ हजार एक सौ नब्बे

योग: 32,760.00

क्रमिक योग: रुपये चार लाख तिरनावे हजार छः सौ सत्तर 493,670.00

14/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN, IFS)
ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

(132) पत्र संख्या - 01/YB-21/2015/675 दिनांक - 14-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	P 19 240601800390323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 800 - अन्य व्यय 39 - स्थायी पौधशाला एवं सीड आर्चड 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	25941	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	10,130.00 रुपये दस हजार एक सौ तीर

योग: 10,130.00

क्रमिक योग: रुपये पॉच लाख तीन हजार आठ सौ 503,800.00

14/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

(131)

अनुलग्नक–3

स्थायी पौधशाला में अतिरिक्त लम्बे पौधे उगाने का अनुसूचित कार्य दर

स्थायी बेडों की संख्या–20

मानव दिवस 221.61 रू0 प्रति मानव दिवस

पौधों की संख्या 10000

स्थायी पौधशाला में 10"x16" पॉलीबैग में लम्बे पौधे उगाने हेतु

क्रम	कार्य का विवरणी	मानव दिवस	मजदूरी रु0 में	सामग्री रु0 में	कुल व्यय रु0 में
i	ii	iii	iv	v	vi
A	द्वितीय वर्ष				
1	अप्रैल से 30 जून तक पौधों में पानी पटवन आदि	132	29252.52	7500.00	36752.52
2	आकस्मिक कार्य 2%		0.00	735.05	735.05
	योग :-	132	29252.52	8235.05	37487.57

Sd/- 19.5.2016

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास

झारखण्ड, राँची